

एमपी में अब पीपीपी मॉडल पर खुलेंगे मेडिकल कॉलेज

● जिला अस्पताल से अटैच होंगे, प्रदेश सरकार रखेगी नियंत्रण ● 25 गाय या भैंस रखने वालों को मिलेगा अनुदान, बड़ा निर्णय



भोपाल। मध्यप्रदेश में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। सरकार इनके लिए 1 रुपए भू-भाटक पर 25 एकड़ जमीन उपलब्ध कराएगी। फिलहाल निजी मेडिकल कॉलेज के लिए निवेशक को खुद जमीन अरेंज करनी पड़ती है। इसके लिए टेंडर डॉक्यूमेंट नियम में संशोधन किया गया था। ये निर्णय मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इसके जरिए कैबिनेट ने जिला

अस्पतालों को प्राइवेट डेवलपर को देने का फैसला भी पलट दिया है। प्रदेश में 25 गाय या भैंस रखने वालों को अनुदान दिया जाएगा। एक व्यक्ति 200 गाय या भैंस पालकर दूध का उत्पादन कर सकेगा। इसके अलावा पशु आहार अनुदान 20 रुपए से बढ़कर 40 रुपए किया गया है। मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना का नाम अब डॉ. भीमराव अंबेडकर दुग्ध उत्पादन योजना होगा। योजना 14 अप्रैल को लॉन्च की जाएगी।

कमेटी में होंगे जिला अस्पताल के भी प्रतिनिधि- डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा- जिला अस्पतालों को प्राइवेट डेवलपर को ट्रांसफर करने का पुरानी सरकार का फैसला पलटा है। पहले इसमें डेवलपर को अस्पताल सौंपने का प्रावधान किया गया था। अब जिला अस्पतालों पर सरकार का ही नियंत्रण रहेगा। शुक्ल ने बताया कि अब निजी मेडिकल कॉलेजों को डेवलपर से संबद्ध किया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी बनेगी, जिसमें जिला अस्पताल के प्रतिनिधि भी होंगे। इन अस्पतालों में 75 प्रतिशत तक निःशुल्क इलाज की सुविधा आयुष्मान कार्डधारकों को मिलेगी। डिप्टी सीएम शुक्ल ने बताया- बैठक में पशुपालन विभाग के माध्यम से गौशालाओं के निर्माण के साथ आहार अनुदान 40 रुपए करने का फैसला किया गया है। पहले यह 20 रुपए था। गौवंश विहार के लिए पीपीपी मॉडल पर निवेशकों को आमंत्रित करने नई पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। वहीं, पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने कहा कि पांच हजार गौवंश रखने के लिए पीपीपी मॉडल तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए बिडिंग होगी। इसमें निवेशक सीएनजी, सोलर और अन्य उत्पादन भी कर सकेंगे। निवेशक से पूछेंगे कि वह कितने दिन तक योजना का लाभ लेंगे। इससे निराश्रित गौवंश को पालने में मदद मिलेगी।

अब संभल की शाही जामा मस्जिद का बदलेगा नाम!

संभल (एजेंसी)। संभल की शाही जामा मस्जिद एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार चर्चा का विषय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा भेजा गया एक नया साइन बोर्ड है जिसमें मस्जिद का नाम 'जुमा मस्जिद' लिखा गया है। उम्मीद है कि सत्यवत पुलिस चौकी में रखा नीले रंग का एएसआई का यह बोर्ड जल्द ही पुराने बोर्ड की जगह लगाया जाएगा।

पुराने बोर्ड पर 'शाही जामा मस्जिद' लिखा हुआ है। एएसआई के वकील विष्णु शर्मा ने बताया कि मस्जिद के बाहर पहले एएसआई का एक बोर्ड लगा था, लेकिन कुछ व्यक्तियों ने कथित तौर पर इसे हटाकर शाही जामा मस्जिद लिखा बोर्ड लगा दिया। नया बोर्ड एएसआई के दस्तावेजों में दर्ज नाम जुमा मस्जिद के अनुसार बनाया गया है। शर्मा ने कहा कि मस्जिद परिसर के अंदर पहले से ही इसी नाम का एक नीला बोर्ड लगा हुआ है। एएसआई ने अभी तक इस बारे में कोई समयसीमा नहीं बताई कि बोर्ड कब तक लगाया जाएगा। विष्णु शर्मा के अनुसार, एएसआई अपने दस्तावेजों के अनुसार ही काम कर रहा है। उनका कहना है कि मस्जिद का नाम 'जुमा मस्जिद' ही एएसआई के रिकॉर्ड में दर्ज है। इसलिए नया बोर्ड उसी नाम से जारी किया गया है।

22 साल बाद भोजशाला में फिर गूंजा जय श्री राम!

भोजशाला में ताले खुलने की धूमधाम से मनाई गई वर्षगांठ, 1997 में लगा था पूजा पर प्रतिबंध



भोपाल। भोजशाला में 22 साल पहले लगे ताले खुलने की वर्षगांठ धार में धूमधाम से मनाई गई। 1997 में लगे प्रतिबंध के बाद, 8 अप्रैल 2003 को हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति मिली थी। इस मौके पर राजा भोज बसंत उत्सव समिति ने आतिशबाजी की और मिठाई बांटी।

हिंदू संगठनों ने संशोधित वक्फ बिल पर भी खुशी जताई। भोजशाला का मुद्दा धार के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि यह राजा भोज की विरासत से जुड़ा है। हर मंगलवार को हिंदू समाज को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा-अर्चना का अधिकार है। 22 मार्च 2024 से

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने सर्वे शुरू किया था, जिसमें 94 सनातनी मूर्तियां मिली थीं। फिलहाल, इस रिपोर्ट के क्रियान्वयन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है, जिस पर अप्रैल में सुनवाई होनी है। हाल ही में भोजशाला के ताले खुलने की 22वीं सालगिरह थी। 22 साल पहले, भोजशाला में प्रवेश को लेकर एक लंबा संघर्ष चला था। इस संघर्ष के बाद हिंदुओं को भोजशाला में प्रवेश करने की अनुमति मिली थी। इस खुशी के मौके पर राजा भोज बसंत उत्सव समिति के लोग भोजशाला के बाहर जमा हुए। उन्होंने वहां आतिशबाजी की और लोगों को मिठाई बांटी।

तमिलनाडु के 10 बिल रोकने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

नई दिल्ली (एजेंसी)। तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध बताया है। कोर्ट ने कहा कि यह मनमाना कदम है और कानून के नजरिए से सही नहीं। राज्यपाल को राज्य की विधानसभा को मदद और सलाह देनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- राज्यपाल को एक दोस्त, दार्शनिक और राह दिखाने वाले की तरह होना चाहिए। आप संविधान की शपथ लेते हैं। आपको किसी राजनीतिक दल की तरफ से संचालित नहीं होना चाहिए। आपको उत्प्रेरक बनना चाहिए,

अवरोधक नहीं। राज्यपाल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई बाधा पैदा न हो। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की तरफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी। इसमें कहा गया था कि राज्यपाल आरएन रवि ने राज्य के जरूरी बिलों को रोककर रखा है। बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो में काम कर चुके पूर्व आईपीएस अधिकारी आरएन रवि ने 2021 में तमिलनाडु के राज्यपाल का पद संभाला था। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि राज्यपाल द्वारा इन 10 विधेयकों को



राष्ट्रपति के पास भेजना अवैध और मनमाना है। यह कार्रवाई रद्द की

जाती है। राज्यपाल की सभी कार्रवाई अमान्य है। बेंच ने कहा कि राज्यपाल

रवि ने भले मन से काम नहीं किया। इन बिलों को उसी दिन से मंजूर माना जाएगा, जिस दिन विधानसभा ने बिलों को पास करके दोबारा राज्यपाल को भेजा गया था। सुप्रीम कोर्ट के 2 निर्देश 1. सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को निर्देश दिया कि उन्हें अपने विकल्पों का इस्तेमाल तय समय-सीमा में करना होगा, वरना उनके उठाए गए कदमों की कानूनी समीक्षा की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल बिल रोकें या राष्ट्रपति के पास भेजें, उन्हें यह काम मंत्रिपरिषद की सलाह से एक महीने के अंदर करना होगा। विधानसभा बिल को दोबारा पास कर

भेजती है, तो राज्यपाल को एक महीने के अंदर मंजूरी देनी होगी। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि वह राज्यपाल की शक्तियों को कमजोर नहीं कर रहा, लेकिन राज्यपाल की सारी कार्रवाई संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुसार होनी चाहिए।

बिल पर राज्यपाल के 4 अधिकार संविधान का आर्टिकल 200 कहता है कि जब विधानसभा कोई विधेयक राज्यपाल को भेजा जाता है, तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। 1. मंजूरी दे सकते हैं। 2. मंजूरी रोक सकते हैं। 3. राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं।

लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर, एक दूरदर्शी असाधारण शासक का जीवन

लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर, एक दूरदर्शी असाधारण शासक थी। उनका जीवन साहस, करुणा और न्याय का प्रतीक है। 18वीं शताब्दी में मालवा पर शासन करते हुए, उन्होंने अपने लोगों के कल्याण के लिए अथक प्रयास किया। उनके शासन को उनकी प्रगतिशील नीतियों, परोपकारी कार्यों और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता है। यह बात आज लोक माता देवी

अहिल्याबाई होल्कर की 300 वीं जन्म जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सलेंस बीकेएसएन महाविद्यालय शाजापुर में आयोजित हुई व्याख्यानमाला में वक्ताओं ने कही। व्याख्यानमाला का आयोजन नगरपालिका शाजापुर के सौजन्य से हुआ था। कार्यक्रम में नगरपालिका सीएमओ डॉ. मधु सक्सेना, महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. बीएस विभूति सहित महाविद्यालय के प्राध्यापकगण

मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर डॉ. वीपी मीणा ने किया। व्याख्यानमाला में प्रमुख वक्ता के रूप में प्रोफेसर डॉ. बीएल मालवीय ने कहा कि लोकमाता देवी अहिल्याबाई के प्रारंभिक जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि अहिल्याबाई का जन्म 31 मई, 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौडी गांव में हुआ था। उनके पिता, मानकोजी शिंदे, एक साधारण किसान थे। 8 साल की छोटी

उम्र में, उनका विवाह मल्हारराव होल्कर के पुत्र खंडेराव होल्कर से हुआ। उन्होंने बताया कि अहिल्याबाई के जीवन में कई दुखद घटनाएँ आईं। उन्होंने कम उम्र में अपने पति और बेटे दोनों को खो दिया। इन त्रासदियों के बावजूद, उन्होंने अपनी प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन किया। 1767 में, अपने ससुर मल्हारराव होल्कर की मृत्यु के बाद, उन्होंने मालवा का शासन संभाला।

एमपी सरकार ने ITBP को दी जमीन: 15 साल तक सैन्य अभ्यास कर सकेंगे जवान

भोपाल। सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस को जमीन दे दी है। यह जमीन शिवपुरी जिले में मिली है। जहां आईटीबीपी सरकारी जमीन पर 15 सालों तक फायरिंग कर सकेगा। गृह मंत्रालय के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। फायरिंग रेंज के भीतर इंसान से लेकर जानवरों की मृत्यु को लेकर कमांडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने आईटीबीपी को शिवपुरी के फतेहपुर इलाके में फायरिंग रेंज के लिए जमीन दी है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि, सपोर्ट वेपन ट्रेनिंग स्कूल भा. ति. सी. पुलिस बल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, करेरा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश

फतेहपुर फील्ड फायरिंग रेंज आईटीबीपी शासन द्वारा हस्तारित भूमि पर ही मुख्य रूप से सैन्य अभ्यास कर सकेगा। सैन्य अभ्यास की अवधि 1 सितंबर 2023 से 31 अगस्त 2038 तक (15 वर्षों) के लिये होगी। सैन्य अभ्यास के दौरान किसी भी प्रकार की जन-धन हानि कम से कम हो, इसका प्रयास संबंधित सपोर्ट वेपन ट्रेनिंग स्कूल भा. ति. सी. पुलिस बल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, करेरा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश फतेहपुर फील्ड फायरिंग रेंज आईटीबीपी को करना होगा। मैदानी गोलाबारी और तोप अभ्यास के दौरान जन-हानि, पशु हानि, फसल हानि होने पर संबंधित सपोर्ट वेपन ट्रेनिंग स्कूल को नियमानुसार मुआवजे का भुगतान करना होगा।

रेंज के अंतर्गत एवं आस-पास रहने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित रेंज के कमांडिंग ऑफिसर की होगी। सैन्य अभ्यास के दौरान पहुंच मार्ग में आम रास्ता बंद नहीं किया जायेगा। इन रास्तों को प्रारंभ करने देने की शर्तों के साथ मध्य प्रदेश सैन्य चालन, मैदानी गोलाबारी तथा तोप अभ्यास नियम 12 से 15 के अनुसार जो निजी भूमियां प्रभावित होगी (फसलें) उनका प्रतिकर क्षति होने पर सपोर्ट वेपन ट्रेनिंग स्कूल भा. ति. सी. पुलिस बल को अदा करना होगा। यदि सैन्य अभ्यास दिवसों में रास्ते बंद किए भी जाते हैं तो आवागमन हेतु रास्तों पर सेना का पहरा लगाया जाकर आवागमन पूर्व से ही बंद करना होगा। सपोर्ट वेपन ट्रेनिंग स्कूल आईटीबीपी, गृह मंत्रालय,

भारत सरकार, करेरा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश फतेहपुर फील्ड फायरिंग रेंज आईटीबीपी को मैनेवर्स फील्ड फायरिंग एक्ट एण्ड आर्टिलरी प्रैक्टिस एक्ट 1938 एवं मध्य प्रदेश सैन्य चालन मैदानी गोलाबारी तथा तोप अभ्यास नियम, 1964 में दर्शाए नियमों का पालन करना होगा। सपोर्ट वेपन ट्रेनिंग स्कूल भा. ति. सी. पुलिस बल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, करेरा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश फतेहपुर फील्ड फायरिंग रेंज आईटीबीपी को लिखित वचन पत्र देना होगा कि वे उपरोक्त नियमों का पालन करने हेतु भारत शासन और राज्य शासन द्वारा भविष्य में यदि कोई शर्तें निर्धारित की जाती हैं तो उन शर्तों को मानने के लिए विभाग बाध्य होगा।

बीजेपी और केंद्र सरकार का चंदा उगाही का धिनौना खेल बेनकाब, लोकतंत्र को बेचने वाली पार्टी है बीजेपी: जीतू पटवारी

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मस (एडर) की ताजा रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब लोकतांत्रिक पार्टी नहीं रही, बल्कि सत्ता का दुरुपयोग कर कॉरपोरेट्स से जबन धन वसूलने वाली डकैत पार्टी बन गई है।

पटवारी ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में सभी राष्ट्रीय दलों को मिले कुल 2544.28 करोड़ के चंदे में से बीजेपी को अकेले 2243 करोड़ रुपये मिले, जो कुल चंदे का लगभग 88% है। उन्होंने इसे चंदा नहीं, बल्कि एक्सटॉर्शन मनी बताया और आरोप लगाया कि यह धन ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी केंद्रीय एजेंसियों के डर के चलते वसूला गया। उन्होंने कहा कि यह कोई संयोग नहीं कि जिन कंपनियों पर सरकारी छापे पड़े, उन्होंने बाद में बीजेपी को भारी-भरकम चंदा दिया। पटवारी ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को भी एक थोखाधड़ी की योजना बताया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद सामने आए आंकड़ों से साफ है कि बीजेपी को सबसे अधिक लाभ हुआ, और यह धन विधायकों की खरीद-फरोख्त और सत्ता हथियाने के लिए इस्तेमाल किया गया। लोकतंत्र की हत्या और जनहित की अनदेखी, अब जवाब मांगेगी जनता पटवारी ने कहा कि बीजेपी ने लोकतंत्र को कुचलने का काम किया है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, मणिपुर जैसे राज्यों में जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को गिराकर बीजेपी ने सत्ता हथियाई। उन्होंने मध्य प्रदेश में 2020 में हुई विधायकों की खरीद-फरोख्त को इसका सबसे बड़ा उदाहरण बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की नीतियां जनविरोधी और कॉरपोरेट-प्रस्त हैं।

आगजनी: भिंड में आग में जलने से 3 भैंसों की मौत, गोटेगांव में घर में भड़की चिंगारी

पहला मामला

देपालपुर। गर्मी का मौसम आते ही आग लगने के मामले भी बढ़ने लगे हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के तीन क्षेत्रों से आग लगने के मामले सामने आए हैं। एक ओर जहां घर और गौड़ा में आग लगने से तीन भैंसों की मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर जवारे विसर्जन में गए परिवार की गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हो गया। इधर 3 महिला किसानों की 20 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। नरसिंहपुर। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव स्थित गुरुनानक वार्ड में नर्मदेश्वर मंदिर के ठीक पीछे शरद कहार पिता नरेश कहार के घर में बीती रात अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। घटना के समय परिवार के सभी सदस्य जवारे विसर्जन के लिए बाहर गए हुए थे। भीषण आग में देखते ही देखते घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों ने धुआं उठता देख तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। लेकिन जब तक मदद पहुंची, तब तक काफी नुकसान हो चुका था। बताया जा रहा है कि, आग में घरेलू सामान, कपड़े, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक

उपकरण सहित गृहस्थी का पूरा सामान जलकर खाक हो गया है। पीड़ित की माने तो लाखों रुपए का नुकसान हुआ है।

भिंड से दूसरा मामला

भिंड। रविवार के दिन पावई थाना क्षेत्र के महेवा गांव में दो अलग-अलग जगहों पर आग लगने की घटना सामने आई है। पहली घटना ब्रजेश सिंह बेटे सरनाम सिंह के गौड़ा की है। जहां अज्ञात कारणों से दोपहर 3:00 बजे आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि पल भर में ही पूरी गौड़ा अपनी चपेट में ले ली। गौड़ा में बंधी चार भैंसों में से तीन भैंसें जलने से दर्दनाक मौत हो गई। जबकि एक भैंस गंभीर रूप से घायल हो गई। दूसरी घटना रामकरण बेटे गंगा सिंह कुशवाह के घर की है। जहां आग लगने से घर में रखी बाइक, अनाज, कपड़े सहित पूरा सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने दोनों स्थानों पर लगी आग को बुझाने के लिए पूरी कोशिश की और फिर दमकल विभाग को सूचना दी। इसके बावजूद कोई अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा और न ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। वहीं शाम के समय पावई थाना

प्रभारी पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और दोनों घटनास्थलों का निरीक्षण किया।

तीसरा मामला देपालपुर

देपालपुर। दतोदा में अचानक तीन महिला किसानों की 20 बीघा गेहूं की फसल में आग लग गई। आग लगने का कारण फ्लिहाल अज्ञात है। जानकारी के अनुसार, बेटमा थाना अंतर्गत ग्राम दतोदा की कृषि भूमि पर अचानक आग लगने से तीन किसानों की खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। प्रारंभिक जांच के अनुसार यह आग अज्ञात कारणों से लगी बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही ग्राम दतोदा के ग्रामीण अपने अपने स्तर पर आग बुझाने पहुंचे। जिन किसानों की फसल जली उसमें महिला किसान रेखा चौहान, नेहा चौहान, देवीलाल की फसल है। कड़ी मशकत के बाद स्थानीय ग्रामीणों की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। घटना के बाद ग्रामीणों ने उचित मुआवजा को लेकर प्रशासन से मांग की है।

प्यासे चीतों को पानी पिलाने वाले ड्राइवर को हटाया

भोपाल। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीतों को पानी पिलाने वाले ड्राइवर सत्यनारायण गुर्जर उर्फ सतू को पार्क प्रबंधन ने हटा दिया है। साथ ही ट्रेकिंग टीम के प्रभारी और दूसरे सदस्यों को नियमों का उल्लंघन करने के लिए नोटिस जारी किया है। पार्क प्रबंधन की तरफ से कहा गया है कि ट्रेकिंग टीम को चीतों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। स्टाफ ने न केवल इसकी अवहेलना की बल्कि वीडियो बनाकर मीडिया में भी साझा कर दिया। यह नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। घटना 4 अप्रैल को सुबह की है। कूनो नेशनल पार्क की अग्रा रेंज में चीता ज्वाला और उसके शावक मानव बस्ती के पास दिखाई दिए थे। उन्हें जंगल की ओर भेजने के लिए अतिरिक्त फील्ड स्टाफ को बुलाया गया। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात निजी ड्राइवर ने स्टील की परात में भरकर चीतों को पानी पिलाया। वह लंबे समय तक चीतों के पास ही खड़ा रहा। वीडियो में दिख रहा है कि ट्रेकिंग टीम में शामिल निजी ड्राइवर (चीता मित्र) सत्यनारायण



केतली और परात लेकर पहुंचा। उसने परात में पानी भरा और शिकार के बाद आराम कर रहे चीतों को आवाज दी। चीतों को अंग्रेजी में %इच्छा% कहकर बुलाया। आवाज सुनते ही ज्वाला और उसके चारों शावक फौरन वहां पहुंच गए और पानी पीने लगे। चीता फैमिली ने इससे ठीक पहले बकरियों का शिकार किया था। वर्तमान में कूनो के खुले जंगल में 17 चीते विचरण कर रहे हैं। ये

चीते लगातार अपना क्षेत्र बढ़ा रहे हैं और सक्रिय रूप से शिकार कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से चीतों की गतिविधियों के कई वीडियो सामने आए हैं। इनमें चीते कभी हिरणों के झुंड का शिकार करते दिखे, तो कभी बकरियों पर हमला करते दिखते हैं। ट्रेकिंग टीम के साथ चीतों की सुरक्षा में जुटे चीता मित्र अब चीतों को पहचानने लगे हैं। चीते भी उनकी कमांड समझने लगे हैं।

दूध उत्पादकों को बड़ी सौगात: 13 अप्रैल से प्रति लीटर 5 रु बोनस की शुरुआत, गोपाल सम्मेलन में सीएम मोहन यादव करेंगे ऐलान

भोपाल। प्रदेश के लाखों दुग्ध उत्पादक किसानों को बड़ी राहत देने जा रही है। दूध पर प्रति लीटर 5 रु का बोनस देने की योजना 13 अप्रैल से शुरू हो सकती है। इसकी औपचारिक घोषणा भोपाल में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय सहकारी दुग्ध उत्पादक गोपाल सम्मेलन में की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस योजना की शुरुआत कर सकते हैं। यह निर्णय प्रदेश के दूध

उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। 5 रु प्रति लीटर बोनस देने पर सरकार पर सालाना करीब 189 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा, लेकिन सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए यह खर्च उठाने को तैयार है।

सम्मेलन में मौजूद रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

13 अप्रैल को राजधानी भोपाल में

आयोजित गोपाल सम्मेलन में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर पूरे प्रदेश की करीब 6 हजार दुग्ध सहकारी समितियों के प्रतिनिधि और किसान भाग लेंगे। ये समितियां योजना 10.50 लाख किलोग्राम से अधिक दूध का संकलन करती हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्रति लीटर 25 बोनस की व्यवस्था से सरकार को हर महीने लगभग 15.75 करोड़ का वित्तीय

भार उठाना होगा। इसके बावजूद सरकार ने यह योजना किसानों के हित में लागू करने का फैसला लिया है।

डेयरी क्षेत्र में भी होगा बड़ा बदलाव इस सम्मेलन के दौरान मध्य प्रदेश के दुग्ध संघों, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और एमपी स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के बीच कोलेबोरेशन एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस समझौते से प्रदेश में दुग्ध उद्योग को नई तकनीक,

बेहतर प्रबंधन और आधुनिक संसाधनों से जोड़ने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सम्मेलन की तैयारियों की गहन समीक्षा की है और सभी संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाएं चुस्त-दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए हैं। सरकार का मकसद इस कार्यक्रम के जरिए यह संदेश देना है कि दुग्ध उत्पादन करने वाला किसान अब राज्य की प्राथमिकता में है।

भाजपा नेता ने घर घर दस्तक दे बताई सरकार की उपलब्धियां

भाजपा की योगी सरकार के 8 साल रहे बेमिसाल। मनोज भदौरिया

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मनोज सिंह भदौरिया के द्वारा बर्सा क्षेत्र में आम जनमानस के बीच पहुंच योगी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर पुस्तिका भेंट कर उन्हें जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर भाजपा नेता मनोज भदौरिया ने आम जनमानस से भारत के प्रधानमंत्री तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। श्री भदौरिया ने कहा कि भाजपा की योगी सरकार के 8 साल बेमिसाल रहे तथा प्रदेश के हर क्षेत्र में चहुंमुखी विकास हुआ है उत्तर प्रदेश आज एक्सप्रेसवे एयरपोर्ट एवं स्मार्ट सिटी के रूप में नई ऊंचाइयां छू रहा है। पूरे प्रदेश में 25 हजार से अधिक निवेशकों ने योगी सरकार के नेतृत्व में उद्योग लगाने के लिए 45 लाख करोड़ का एमओयू साइन किया है। आज उत्तर प्रदेश में व्यापार रोजगार शिक्षा चिकित्सा विद्युत एवं



कानून व्यवस्था की स्थिति दुरुस्त हुई है। प्रदेश सरकार की सेवा सुरक्षा व सुशासन नीति के 8 वर्ष पूर्ण होने पर सभी ने गर्मजोशी से सूबे की

सरकार को सराहा है। इस दौरान मनोज भदौरिया के संग घर घर संग चल रहे पंकज राजावत ने शासन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां और योजनाओं

की जानकारी के साथ-साथ अन्नदाता किसानों की समृद्धि, महिला सशक्तिकरण, युवा और रोजगार, हस्तशिल्प, ओडीओपी, सुरक्षित उद्यमिता, समाज कल्याण, पेंशन योजनाओं, राशन वितरण आदि जैसे विभिन्न विषयों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश अब भयमुक्त है। मनोज सिंह भदौरिया ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों का भी ख्याल भाजपा सरकार ने रखा है। जिससे किसानों के चेहरों पर मुस्कान है। श्री भदौरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना से लाखों लाख बेघर लोगों को अपना घर मिल सका है। सरकार की उपलब्धियां बताते हुए श्री भदौरिया ने कहा कि आज वह बर्सा जैरौली खाड़पुर क्षेत्र के प्रत्येक घर घर में जाकर निवासियों को सरकार के द्वारा कराए गए कार्यों को बताने तथा पुस्तिका वितरित करने का कार्य उनके द्वारा किया गया है जो अनवरत जारी रहेगा। इस मौके पर काफी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे।

भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल का सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न

हाटपिल्ल्या। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल का सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न सम्मेलन में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक मनोज चौधरी सम्मेलन की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष रायसिंह सेंधव विशेष अतिथि पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल मनोहर सिंह पवार मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सैधव पूर्व मंडल अध्यक्ष विजय शक्तावत नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि अरुण राठौर पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना पूर्व मंडी अध्यक्ष महेंद्र यादव थे।

मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक मनोज चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने हर वर्ग के लिए विकास



कार्य किए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में तीन तलाक कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय किया कश्मीर से धारा 370 हटाकर कश्मीर को आगे बढ़ाने का काम किया।

अध्यक्षता कर रहे भाजपा जिला अध्यक्ष रायसिंह सेंधव ने बोलते हुए कहा कि भाजपा संगठन द्वारा 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भाजपा स्थापना दिवस से लेकर 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती तक जो भी कार्य भाजपा संगठन द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं को दिए हैं उन सभी कार्यों को बूथ स्तर तक ले जाकर सभी कार्यों को करना है उन्होंने कहा आगे हमें गांव चलो बस्ती चलो अभियान समेत 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती को संविधान दिवस के रूप में मनाना है।

विशेष अतिथि पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल ने भी संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी विकास किया है प्रदेश सरकार ने भी काफी विकास किया है हमें जन जन को यहां बताना है। विशेष अतिथि पूर्व मंडल अध्यक्ष विजय शक्तावत ने भी संबोधित करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को संगठन के कार्यों की जानकारी दी। सम्मेलन में स्वागत भाषण मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सैधव ने दिया आभार भाजपा मिडिया प्रभारी रमेश संदूकलिया ने किया संचालन बापूलाल धौसरिया ने किया। सम्मेलन में मुख्य रूप से प्रितम सौलकी आशीष व्यास भोलाराम पाटीदार संदीप मालवीय संदीप बिंजवा अर्जुन सैधव राजू पठान धीरज सिंह सैधव राजेंद्र सिंह जामनिया सुरेन्द्र सैधव राधेश्याम टांटिया अभिमन्यु सैधव प्रदीप सैधव मोहन पटेल कृष्णपाल सैधव गजराज सैधव सुरेन्द्र सैधव गणेश पाटीदार धीरज सिंह धर्मेन्द्र सैधव समेत अनेक सक्रिय कार्यकर्ता व बुध अध्यक्ष व भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद थे।

प्रदेश में ट्रांसमिशन लाइनों एवं एकस्ट्रा हाईटेंशन सबस्टेशनों की हो रही है असेट मैपिंग

इंदौर। मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी(एम.पी. ट्रांसको) प्रदेश की अपनी ट्रांसमिशन लाइनों एवं एकस्ट्रा हाईटेंशन सबस्टेशनों की असेट मैपिंग करवा रहा है, इससे जहां ट्रांसमिशन एलीमेंट्स का डिजिटल डाटा एक क्लिक पर उपलब्ध हो सकेगा, वहीं किसी भी इमरजेंसी के समय मटेरियल मैनेजमेंट टाइम और व्यवधान को न्यूनतम करने में सहायता मिलेगी।

एम.पी. ट्रांसको के मुख्य अभियंता श्री आर.के. मिश्रा ने बताया प्रदेश की 27900 कि.मी. लाइनों एवं 416 सबस्टेशनों में यह असेट मैपिंग का कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि मेसर्स सायबर स्विफ्ट कलकत्ता इस कार्य को कर रही है, जिसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डेशबोर्ड के निर्माण का कार्य भी करना है। इस हेतु अलग-अलग मॉड्यूल में जानकारी संरक्षित की जा रही है। ट्रांसमिशन कंपनी के लाइन मैटेनेन्स कार्मिकों के साथ सबस्टेशन प्रभारी के मोबाइल पर एप के माध्यम से यह सब जानकारी उपलब्ध रहेगी।

सर्वे ऑफ इंडिया के मैप पर की जा रही है मैपिंग:-

श्री मिश्रा ने बताया कि ट्रांसमिशन एलीमेंट्स की मैपिंग सर्वे ऑफ इंडिया के मैप को आधार बनाकर की जा रही है जिससे डेटा की सटीक प्रमाणिकता रहेगी। जीपीएस प्रणाली के उन्नत संस्करण डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग

सिस्टम(डीजीपीएस) के उपयोग से 1 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक के स्थान में सटीकता से मैपिंग हो रही है। ये हैं फायदे:- असेट मैपिंग से ट्रांसमिशन टावरों में कोई समस्या आने पर टावर की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी त्वरित मिल जायेगी। ट्रांसमिशन कंपनी के सभी एलीमेंट्स का डिजिटलाइजेशन होने से व्यवस्थित रिकार्ड रखने में आसानी रहेगी, साथ ही मोबाइल एप पर भी जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। इस मैपिंग में ट्रांसमिशन कंपनी की भूमि का भी रिकार्ड उपलब्ध रहेगा। डेशबोर्ड पर विस्तृत जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध रहेगी। जरूरत के पाटर्स, उपकरण आदि के बारे में पूरी जानकारी मिलने से सुधार कार्य और मटेरियल के इंतजामों में लगने वाले समय में कमी आयेगी।

15 करोड़ की लागत से हो रही है असेट मैपिंग:-

मुख्य अभियंता श्री मिश्रा ने बताया कि वर्तमान में पहले चरण में प्रदेश की 27912 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन और 416 एकस्ट्रा हाईटेंशन सबस्टेशनों की असेट मैपिंग के लिये मेसर्स सायबर स्विफ्ट कलकत्ता यह कार्य कर रही है, जिसका अनुमानित व्यय लगभग 15 करोड़ रुपये है। सर्वे ऑफ इंडिया के मैप पर की जा रही मैपिंग के अलावा कंपनी सर्वे एवं सॉफ्टवेयर डेवलप करने का कार्य भी कर रही है।

“वृक्ष का वचन”



एक बार की बात है, एक छोटा बच्चा अर्जुन अपने दादाजी के साथ गाँव के बाहर लगे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। दादाजी ने कहा,
“बेटा, ये पेड़ सिर्फ छाया नहीं देता, ये हमें साँस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है, पक्षियों का घर बनता है, और बारिश लाता है।”

अर्जुन ने मासूमियत से पूछा,
“तो लोग पेड़ क्यों काटते हैं दादाजी?”

दादाजी ने उदासी से कहा,
“क्योंकि वे अपने आज के लालच में कल को भूल जाते हैं।”

उसी रात अर्जुन ने सपना देखा – वह पेड़ एक इंसान में बदल गया और बोला:
“अर्जुन, एक वचन दो – जब बड़े हो जाओ, तो मुझे और मेरे जैसे पेड़ों को बचाओ। मुझमें जीवन है, मुझे काटना मतलब अपने ही भविष्य को काटना है।”


सुबह उठते ही अर्जुन ने ठान लिया –

“मैं हर साल पेड़ लगाऊंगा और सबको जागरूक करूंगा।”

वर्षों बाद, अर्जुन एक पत्रकार बना – और उसने अपनी कलम से हर पत्र पर हरियाली की बात लिखी। “रणजीत टाइम्स” में उसने एक कॉलम शुरू किया – “प्रकृति की पुकार” – जहाँ वह हर हफ्ते एक नई पर्यावरण की कहानी लिखता।
नैतिक सीख (Moral)

“कलम से जागरूकता फैलाओ, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ।”
“पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं, वो जीवन की डोर हैं – उन्हें मत तोड़ो!”

एक थाली का सच



कहानी

“एक थाली का सच”

एक गांव में एक बुजुर्ग दादा जी अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहते थे। उम्र बढ़ने के साथ दादा जी थोड़ा असहज हो गए थे – हाथ कांपते थे, खाना गिर जाता था।

बहू रोज ताने देती –

“पापा जी हर जगह गंदगी फैला देते हैं!” बेटा भी चुप रहता।

एक दिन बहू ने लकड़ी की एक पुरानी थाली दादा जी के लिए अलग कर दी। अब वो अलग बैठकर उसी थाली में खाना खाते।

पोता अर्जुन ये सब चुपचाप देखता रहा।

कुछ दिनों बाद अर्जुन लकड़ी के टुकड़ों से कुछ बनाने लगा।

पिता ने पूछा – “क्या बना रहे हो बेटा?”

अर्जुन बोला – “पापा, आपके लिए थाली बना रहा हूँ... जब आप बूढ़े हो जाओगे!”

यह सुनकर बेटे और बहू को गहरा झटका लगा।

उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ। उसी दिन से उन्होंने दादा जी को फिर से अपने साथ बिठाकर प्रेम से खाना खिलाना शुरू किया।

सीख (Moral): “परिवार का असली प्यार तभी दिखता है जब हम बुजुर्गों का सम्मान करें।
जैसा हम करेंगे, बच्चे वही सीखेंगे।”

तेजाजी नगर थाना क्षेत्र का मामला

दंपति के प्लाट पर अवैध कब्जा, दो साल से न्याय के लिए भटक रहे फरियादी

राजेश धाकड़

इंदौर। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में एक दंपति पिछले दो वर्षों से अपने ही प्लाट पर अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रशासन और पुलिस के दरवाजे खटखटा रहा है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फरियादी रामचरण बागवान और उनकी पत्नी श्रीमती दुर्गा बागवान का आरोप है कि शेखर, बेला और गोलू बोराने ने उनके प्लाट पर जबरन कब्जा कर लिया है। दंपति ने इस संबंध में कई बार तेजाजी नगर थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। थाने से निराश



होकर उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में भी कई बार आवेदन दिए और जनसुनवाई में गुहार लगाई, लेकिन वहां से भी केवल आश्वासन ही मिला। आज जब न्याय की सभी कोशिशें विफल होती नजर आईं, तो दंपति ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर लौट लगाई और माननीय कलेक्टर महोदय से न्याय की गुहार लगाई। उनका कहना है कि उनके वैध प्लाट पर जबरन कब्जा कर लिया गया है और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। रामचरण बागवान और दुर्गा बागवान ने प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई की जाए और उन्हें उनका हक दिलाया जाए।

जिला पत्रकार संघ के बैनर तले पुलिस और प्रशासन के खिलाफ पत्रकारों ने दिया धरना

मुख्यमंत्री से की पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग सौ से अधिक पत्रकारों ने की सहभागिता



झाबुआ : उत्सव सोनी

प्रदेश में पत्रकारों पर हो रहे हमले और झाबुआ में पत्रकारों को साथ हुए प्रशासनिक दुर्व्यवहार के कारण सोमवार को जिले भर के पत्रकारों ने जिला पत्रकार संघ झाबुआ के बैनर तले आक्रोश व्यक्त करते हुए धरना प्रदर्शन किया। अम्बेडकर गार्डन में जिले भर से जुटे सैकड़ों पत्रकारों ने प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने, प्रशासनिक दुर्व्यवहार सहित अन्य मांगों को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। दरअसल विगत दिनों मुख्यमंत्री के झाबुआ आगमन के दौरान कलेक्टर और एसपी द्वारा झाबुआ के कुछ पत्रकारों पर तल्ल टिप्पणी की गई थी जिससे पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त हो गया। प्रशासनिक अधिकारियों के धमकी भरे अंदाज में की गई टिप्पणियों कलमकारों का नागवार गुजरी जिसके चलते सोमवार को बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में जिला पत्रकार संघ के आव्हान पर झाबुआ सहित जिले भर के विभिन्न ग्रामों से लगभग 100 से अधिक पत्रकारों ने सहभागिता कर अपना समर्थन दिया।

एसडीएम ने लिया ज्ञापन

करीब तीन घंटे चले धरना प्रदर्शन के बाद प्रशासनिक अधिकारी के रूप झाबुआ एसडीएम भास्कर घाचले, तहसीलदार सुनील डार धरना स्थल पर पहुंचे। महेश राठौर ने ज्ञापन का वाचन किया। जिला पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष राजेश सोनी, महासचिव अक्षय भट्ट, संरक्षक मनोज चतुर्वेदी, संजय भट्टेवरा, हरिषंकरपंवार, संघ के जिलाउपाध्यक्ष सत्यनारायणसिंह ठाकुर, मुज्जमिल मंसूरी, सहित कई पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और 15 दिनों में ज्ञापन पर कार्यवाही

की मांग की गई। शांतिपूर्ण किए गए धरना प्रदर्शन में सर्वप्रथम जिला पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष राजेश सोनी ने संबोधित करते हुए इस प्रदर्शन किए जाने के कारणों पर प्रकाश डाला। साथ ही कहा कि प्रशासन और पत्रकार एक दूसरे की कड़ी हैं। पत्रकारों को अपने कर्तव्य निर्वहन में जो परेशानी आ रही है यह धरना प्रदर्शन उसकी लड़ाई है। प्रशासन से व्यक्तिगत द्वेषता नहीं किन्तु पत्रकारों के साथ झाबुआ जिले भर में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पत्रकारों के साथ असहयोगात्मक रवैया प्रशासन का देखने को मिल रहा है। जिले के अलावा ग्रामीण स्तर पर भी पत्रकारों को प्रशासनिक सहयोग नहीं मिल पाता है। प्रशासन अच्छी खबर की वाहवाही लुटता है लेकिन जब जनहित की खबर चलती है तो प्रशासन कार्यवाही की बात करता है। जिले में पत्रकारों के हितों की रक्षा और सम्मान के लिए संगठन सदैव तत्पर रहा है।

संघ के संरक्षक संजय भट्टेवरा ने कहा की वर्तमान में पत्रकार सुरक्षा कानून की काफी जरूरत है। पंचायत स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक पत्रकारों पर हमले हो रहे और प्रशासन भी पत्रकारों पर निशाना साध रहा है। उन्होंने कहा की कलेक्टर झाबुआ द्वारा यह कहा जाना कि सब दूर केमरे लगा रखे हैं और कौन क्या कर रहा है हमें सब पता, काफी निराशजनक है। पुलिस अधीक्षक कहते हैं कि सब के इशु है, आखिर इसका मतलब क्या है। ये अधिकारी पत्रकारों को अघोषित रूप से धमकाने की कोशिश कर रहे हैं जो असहनीय है, जिसका हर



स्तर पर विरोध किया जायेगा।

संघ के संरक्षक हरिषंकर पंवार ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रशासन

ओर पत्रकार दोनों को एक दुसरे के साथ की जरूरत है, उनसे हम लड़ाई नहीं कर सकते लेकिन समाचार के माध्यम से भी यदि बात नहीं बनी तो हमे मजबूर होकर कलम डाउन करना पड़ेगी। उन्होंने कहा की पत्रकारों को भी गंभीरता से पत्रकारिता को करना चाहिए। संघ के महासचिव अक्षय भट्ट ने कहा कि प्रशासन द्वारा पत्रकारों के साथ जिस तरह का असहयोग कर रहा है वह आक्रोश का कारण है जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मनोज अरोडा ने कहा कि आज प्रशासनिक बेरूखी के कारण गांव- गांव से पत्रकार साथियों को धरना प्रदर्शन में शामिल होने झाबुआ आना पड़ा यह बड़े खेद का विषय है।

आलोक द्विवेदी ने कहा कि आज के ऐसे दौर में पत्रकारिता करना एक चुनौती हो गया है, प्रशासनिक अफसरों को पत्रकारों के प्रति सकारात्मक रवैया रखना चाहिए किन्तु झाबुआ जिले में इसके विपरीत कार्यशैली अधिकारी अपना रहे हैं। राजेन्द्र सिंह सोनगरा ने कहा की पत्रकारों के सम्मान के लिए विरोध स्वरूप धरना प्रदर्शन जैसा कदम उठाना पड़ा प्रशासन और पत्रकार एक सिक्के के दो पहलु है। दोनों जनता की मदद के लिए काम करते हैं, किन्तु कई बार प्रशासन में बैठे अधिकारी आलोचनात्मक खबरों को व्यक्तिगत लेकर पत्रकारों के प्रति द्वेष भाव रखते हैं जबकि ऐसा नहीं होना

चाहिए। पत्रकार सरकार की योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है बावजूद यदि प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी यदि ऐसा व्यवहार करेंगे तो पत्रकार हतोत्साहित होगा। पेटलावद के विरेन्द्र भट्ट ने कहा की जल जीवन मिशन को खबर में कलेक्टर का सार्वजनिक वर्जन छापने पर पत्रकारों और संपादकों के माध्यम नोटिस तो दिला दिये किन्तु मेडम ने ठेकेदार और संबंधित एजेंसी पर कोई कार्यवाही नहीं की, इस तरह बर्ताव से प्रशासनिक अफसर क्या दिखाना चाहते हैं। अब ऐसा दौर आ गया है कि जनता की हित के समाचार लिखना मतलब मुसीबत मौल लेना हो गया है। विरेन्द्र राठौर ने कहा की झाबुआ जिले की पत्रकारिता कभी ना तो डरी है ना ही डरेगी हमारी आवाज को जो जितना दबाने की कोशिश करेगा वो उतनी ही मुखरता से चलेगी। कलेक्टर मेडम कहती है कि केमरे से निगरानी हो रही है तो क्या सिर्फ पत्रकारों की ही हो रही है एसपी साहब कह रहे हैं पत्रकारों के इशु है, तो क्या सिर्फ पत्रकारों के ही इशु है।

कांग्रेस का मिला साथ

पत्रकारों के आक्रोश और धरना प्रदर्शन को कांग्रेस पार्टी का भी साथ मिला। पूर्व केन्द्रीय मंत्री और वरिष्ठ आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया, झाबुआ विधायक और आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विक्रान्त भूरिया, जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश रांका, शहर कांग्रेस अध्यक्ष जितेन्द्र सिंह राठौर, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि जसवंत भाबर ने पत्रकारों के धरना प्रदर्शन में शामिल हो कर प्रशासन द्वारा पत्रकारों के साथ किए जो रहे दुर्व्यवहार की आलोचना की और प्रदेश सरकार से ऐसे जिम्मेदारों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की।

मध्यप्रदेश के गांवों में भी धधकने लगी पराली: इंदौर की हवा में घुल रहा जहर, बढ़ेगा प्रदूषण, दमा-दमघोंटू माहौल की आशंका

इंदौर। दिल्ली और पंजाब की तरह अब मध्यप्रदेश के गांवों और कस्बों में भी पराली जलाने का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। इंदौर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में गेहूं की कटाई के तुरंत बाद पराली जलाने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे वातावरण में खतरनाक स्तर तक प्रदूषण फैलने की आशंका गहराने लगी है। पराली जलाने से उठने वाला धुआं तेज हवाओं के साथ इंदौर जैसे शहरी क्षेत्रों तक पहुंच रहा है, जिससे न सिर्फ शहर की आबोहवा दमघोंटू होती जा रही है, बल्कि दमा, अस्थमा और फेफड़ों की बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की

मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। धुएं में घुलने वाले क्लोरिड्स जैसे सूक्ष्म कण सांस के जरिए शरीर में प्रवेश कर गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। प्रदूषण और कृषि विभाग की चुप्पी चिंता का विषय, न जागरूकता, न कार्रवाई दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में कोर्ट के आदेशों के बाद जहां सख्ती से पराली जलाने पर रोक लगाई गई है, वहीं मध्यप्रदेश में न तो कृषि विभाग जागरूकता फैला रहा है और न ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कोई सख्त कदम उठा रहा है। किसान बेखोफ होकर पराली जला रहे हैं, और अधिकारी मूक दर्शक बने हैं। पराली जलाने से नहीं सिर्फ प्रदूषण, खेती

की उर्वरा शक्ति भी हो जाती है खत्म विशेषज्ञों के अनुसार, पराली में मौजूद नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैशियम, सल्फर और कार्बन जैसे महत्वपूर्ण तत्व जलने के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। इससे न सिर्फ मिट्टी की उपजाऊ क्षमता घटती है, बल्कि भूमि में मौजूद केंचुए और सूक्ष्म जीव-जंतु भी समाप्त हो जाते हैं। जमीन कठोर हो जाती है और पानी सोखने की क्षमता घटती है, जिससे भविष्य की फसलें भी प्रभावित होती हैं।

पराली जलाना नहीं, बेचना है फायदेमंद-लाखों की आमदनी का जरिया बन सकती है पराली

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इंदौर के वरिष्ठ क्षेत्रीय अधिकारी एसएन द्विवेदी ने बताया कि यदि किसान चाहें, तो पराली को बेचकर सालाना अच्छी कमाई कर सकते हैं। आजकल बायोगैस, जैविक खाद, बायोथर्मोकोल, कागज, फर्नीचर, कप-प्लेट जैसे डिस्पोजल प्रोडक्ट और यहां तक कि बायोलर में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाले बायोमास ब्रिकेट पराली से बनाए जा रहे हैं। देशभर में कई उद्योगपति किसानों से पराली खरीदने के इच्छुक हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में गांवों के किसान आज भी उसे जलाकर

नुकसान कर रहे हैं। यदि कृषि और पर्यावरण विभाग मिलकर पंचायतों और चौपालों में जागरूकता अभियान चलाएं, तो न केवल प्रदूषण से मुक्ति मिल सकती है बल्कि किसानों की आय भी दोगुनी हो सकती है। पराली जलाने की समस्या के समाधान के लिए केवल नियम बनाना काफी नहीं है, उनका पालन सुनिश्चित कराना और किसानों को विकल्प दिखाना जरूरी है। मध्यप्रदेश को अब इस ओर गंभीरता से कदम बढ़ाने की जरूरत है, वरना आने वाले हफ्तों में हवा में जहर और खेतों में बंजरपन की स्थिति गहरा सकती है।

बीजेपी नेता अक्षय बम को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 17 साल पुराने हत्या के प्रयास मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगी रोक

इंदौर। राजनीति में चर्चा का विषय बने बीजेपी नेता अक्षय कांत बम और उनके पिता कांतिलाल बम को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच से 17 साल पुराने गंभीर आपराधिक मामले में बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने 2007 में दर्ज हत्या के प्रयास से जुड़े मामले में निचली अदालत द्वारा चल रही ट्रायल की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। अक्षय बम हाल ही में तब सुखियों में आए जब उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में इंदौर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन अंतिम समय में वापस ले लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। इसी दौरान, उनके खिलाफ पुराने आपराधिक मामले में अदालत की कार्यवाही तेज हुई, जिससे यह मामला एक बार फिर सुखियों में आ गया।

हाई कोर्ट का आदेश-आगे की कार्यवाही पर रोक, अगली सुनवाई 2 मई को

न्यायमूर्ति संजीव एस कलगांवकर की एकल पीठ ने 4 अप्रैल को आदेश जारी करते हुए कहा कि, मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्देश दिया जाता है कि मुकदमे की आगे की कार्यवाही केवल अगली सुनवाई की तारीख तक रोकी जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील को केस डायरी और संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। इस याचिका की अगली सुनवाई अब 2 मई को होगी। यह मामला 4 अक्टूबर 2007 का है, जब इंदौर में भूमि विवाद के चलते अक्षय बम, उनके पिता कांतिलाल और अन्य लोगों पर युनुस पटेल नामक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा था। शुरुआत में इस मामले

में केवल हल्की धाराएं लगाई गई थीं - दृष्टिक्रम की धारा 294, 323, 506 आदि। लेकिन 24 अप्रैल 2023 को, पीड़ित की अर्जी पर कोर्ट ने भारतीय दंडसंहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) को भी जोड़ा, जिससे मामला गंभीर हो गया। बचाव पक्ष की दलील- 17 साल बाद अचानक गंभीर धारा क्यों जोड़ी गई? बम और उनके पिता की ओर से वकील राघवेंद्र सिंह रघुवंशी ने कोर्ट में दलील दी कि, 17 वर्षों तक जब यह मामला निचली अदालत में लंबित था, तब कभी भी धारा 307 के तहत संज्ञान नहीं लिया गया। यह धारा केवल तब जोड़ी गई जब याचिकाकर्ता ने इंदौर से चुनाव लड़ने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया याचिकाकर्ताओं के लिए पूर्वाग्रह पैदा करती है, इसलिए ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक आवश्यक थी।

संबद्ध गंभीर आरोप, गोली चलाने वाला आरोपी बाद में मारा गया

पुलिस के अनुसार, युनुस पटेल ने आरोप लगाया था कि विवाद के दौरान, सुरक्षा एजेंसी संचालक सतवीर सिंह ने कांतिलाल बम के कहने पर 12 बोर की बंदूक से गोली चलाई। यही नहीं, गोली चलाने वाला आरोपी सतवीर सिंह बाद में मारा गया। पिछले महीने जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने बम और उनके पिता के खिलाफ धारा 307 सहित अन्य आरोप तय किए थे, जिसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 30 अप्रैल को होना था साक्ष्य दर्ज करने का काम, अब आगे की कार्रवाई रुकी ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में 30 अप्रैल को गवाही और साक्ष्य दर्ज करने की तारीख तय की थी, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब यह प्रक्रिया फिलहाल रुकी हुई है।

मुख्यमंत्री ने दी बड़ी राहत : एमओएस पर अब नहीं लगेगा संपत्तिकर, स्मार्ट सिटी योजनाओं पर भी मिलेगी छूट

इंदौर। नागरिकों को राहत देने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब मल्टीस्टोरी सोसाइटी यानी एमओएस पर संपत्तिकर नहीं लगाया जाएगा। इस संबंध में जल्द ही विभागीय स्तर पर आदेश जारी किए जाएंगे। यह फैसला उस समय लिया गया जब मुख्यमंत्री ने इंदौर सहित प्रदेश के प्रमुख महापौरों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने विशेष रूप से यह मुद्दा मुख्यमंत्री के समक्ष रखा और आग्रह किया कि एमओएस पर संपत्तिकर नहीं लगाया जाए, क्योंकि इससे हजारों रहवासियों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। महापौर की इस मांग को मुख्यमंत्री ने तुरंत स्वीकार कर लिया। यह फैसला उन हजारों परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो मल्टीस्टोरी सोसाइटी में रहते हैं और लंबे समय से इस टैक्स को हटाने की मांग कर रहे थे। गौरतलब है कि करीब पांच साल पहले शासन ने एमओएस पर संपत्तिकर आरोपित करने का आदेश जारी किया था, जिसे अब हटाया जाएगा। इससे पहले एमओएस के निवासियों को संपत्तिकर के रूप में

हर साल बड़ी रकम चुकानी पड़ती थी, लेकिन अब वे इस भार से मुक्त हो सकेंगे।

सिर्फ संपत्तिकर में राहत ही नहीं, स्मार्ट सिटी योजना के तहत विकसित कॉलोनियों के रहवासियों को भी राहत मिलने जा रही है। महापौर ने मुख्यमंत्री से यह भी निवेदन किया कि स्मार्ट सिटी के तहत स्वीकृत होने वाले अभिन्यासों में जो अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है, वह भी हटाया जाए। मुख्यमंत्री ने इस मांग को भी स्वीकृत दे दी है। अब स्मार्ट सिटी की कॉलोनियों में घर बनाने या भवन निर्माण की स्वीकृति के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इस फैसले से हजारों परिवारों को आर्थिक लाभ मिलेगा और वे बिना किसी अतिरिक्त खर्च के अपने घरों का नक्शा पास करवा सकेंगे।

इस बैठक में मुख्यमंत्री के सामने नगर निगम के विकास कार्यों के लिए 500 करोड़ रुपये तक का लोन दिए जाने का प्रस्ताव भी रखा गया, जिसे उन्होंने मंजूरी दे दी है। यह लोन शहर की अधूरी बिल्डिंगों को पूरा करने, फ्लाइंग ओवर बनाने, नगर निगम के लिए 150 करोड़ रुपये की लागत से नए वाहन खरीदने और वर्कशॉप को आधुनिक तकनीक

से लैस करने में खर्च किया जाएगा। इससे नगर निगम की कार्यप्रणाली और सेवाएं दोनों बेहतर होंगी, और शहरवासियों को अधिक सुविधाएं मिलेंगी। बैठक में प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे। उन्होंने महापौर की उस मांग को भी समर्थन दिया जिसमें अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने के बाद रहवासियों को भवन निर्माण की मंजूरी में आने वाली दिक्कतों को दूर करने की बात कही गई थी। महापौर ने कहा कि वैध हो चुकी कॉलोनियों के निवासी अभी भी नक्शा पास कराने के लिए परेशान हो रहे हैं। अब इस समस्या को खत्म करने के लिए शासन स्तर पर नियमों में बदलाव किया जाएगा ताकि आमजन को सहूलियत मिल सके। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि यह फैसले इंदौर शहर के लिए एक बड़ी सौगात है। एमओएस पर टैक्स हटना, स्मार्ट सिटी शुल्क की छूट, 500 करोड़ का लोन और वैध कॉलोनियों को भवन नक्शा पास कराने में राहत जैसे फैसले इंदौर की तस्वीर बदल देंगे। इससे न सिर्फ लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी बल्कि शहर का विकास भी तेज गति से होगा।

कड़े संघर्ष के बीच सफल हो रहा है वैकल्पिक मीडिया, आम जनता की आवाज बनकर उभरा : सफल होता वैकल्पिक मीडिया विषय पर सत्र में बोले वरिष्ठ पत्रकार

इंदौर मीडिया कॉन्क्लेव के दूसरे दिन हुआ महत्वपूर्ण चर्चा सत्र

इंदौर। कड़े संघर्ष के बीच कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से देश में वैकल्पिक मीडिया ने अपनी अलग जगह बनाई है और वह लगातार सफल हो रहा है। सच दिखाने और बताने का साहस रखने वाला वैकल्पिक मीडिया ही आज देश का असली मीडिया है, जो आमजन मानस की आवाज को उठा रहा है। यह बात इंदौर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित इंदौर मीडिया कॉन्क्लेव के दूसरे दिन पहले सत्र में उभरकर आई। सफल होता वैकल्पिक मीडिया विषय पर इस सत्र का आयोजन किया गया। 4 पीएम लखनऊ के संजय शर्मा ने कहा कि सत्ताधीशों के दबाव और सत्ताओं से संघर्ष के बीच भी हम अपनी अलग पहचान और स्थान मीडिया

जगत में बनाने में तेजी से सफल हुए हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि वैकल्पिक मीडिया सच दिखाने और बताने का साहस रखता है। इस देश में सच बोलने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। हमें भी यह कीमत कई बार चुकाने पड़ी है, लेकिन हमने सच बोलना नहीं छोड़ा है। उन्होंने राजनीतिक और सत्ता के दखल के कई किस्से सुनाते हुए कहा कि इस सबके बीच भी वैकल्पिक मीडिया सशक्त होता चला जा रहा है। हम पर लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। उन्होंने पत्रकारिता के छात्रों से कहा कि वैकल्पिक मीडिया में काम करने के साथ वैकल्पिक रोजगार भी अपने साथ जरूर रखें। बड़ा सपना देखें और उस सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। जब मुकाबला सत्ताधीशों या ताकतवर लोगों से हो तो उस मुकाबले के लिए प्रकाशित, प्रसारित की गई



खबर के दस्तावेज जरूर अपने पास रखें। दलपेटा के भुवनेश सेंगर ने कहा कि मैंने अनेक नामचीन और बड़े चैनलों में काम किया। जब सबसे कम तनखाह मिलती थी, तब मैं सबसे अच्छे काम और दमदार पत्रकारिता करता था। इनमें से कुछ चैनलों में काम करने के बाद मुझे लगा कि मेरी प्रसिद्धि तो बढ़ गई है लेकिन मैं पत्रकारिता

नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने चैनलों का साथ छोड़ा और अपना खुद का प्लेटफॉर्म द लपेटा स्थापित किया। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जिस पर काम करते हुए सुकून महसूस कर रहा हूँ और लग रहा है मैं वास्तव में पत्रकारिता कर पा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि द लपेटा की एक खबर की गूंज जब संसद में हुई और खबर का असर दिखाई पड़ा तो मुझे

बड़ी खुशी हुई कि मेरा जो प्रयास है, वह सही दिशा में है।


सीबीलाइव झाबुआ के चंद्रभान सिंह ने कहा कि दमदारी से पत्रकारिता करने के लिए अपना प्लेटफॉर्म होना जरूरी है, यह अहसास होने के बाद मैंने अपना प्लेटफॉर्म शुरू किया। आदिवासियों की आवाज बनने का प्रयास किया और इसमें हमें कामयाबी भी मिली, क्योंकि मेरा जो वैकल्पिक मीडिया है, वह एक मिशन की तरह काम कर रहा है। जिसका उद्देश्य सिर्फ खबरे दिखाना नहीं बल्कि आदिवासी अंचल के जरूरतमंद लोगों की मदद करना भी है। लाखों लोग हमारे फालोअर्स हैं यह हमारे वैकल्पिक मीडिया की बड़ी कामयाबी है।

मीडियावाला के सुरेश तिवारी ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद मुझे साथियों ने सलाह दी कि मीडिया का काम शुरू करें।




800 साल पुराने रहस्यमयी चर्च जिनकी कहानियां करती हैं हैरान

इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा से 645 किलोमीटर दूर ये नायाब चर्च मोनोलिथिक यानी एक ही पर्वत या पत्थर को काटकर बनाया गया है। ये चर्च काफी गहरा बना हुआ है। हालांकि पूर्वी अफ्रीकी देश लालिबेला शहर में स्थित ये चर्च सालों तक दुनिया से दूर रहा है। ईसाई धर्म को मानने वाले दुनिया के सबसे पुराने देश इथोपिया के लोगों को लगता था कि ये चर्च ईश्वर ने खुद ही बनवाया है। 150 फुट की गहराई में बने इस चर्च का रास्ता तय करने के लिए भूमिगत सीढ़ियां भी बनाई गई हैं। मध्यकालीन युग में बनाया गया ये चर्च सरक्षित इमारतों की सूची में शामिल है।




पुराने हैं। इनके बनने के पीछे जो कहानियां प्रचलित हैं, उसे जानकर तो हर कोई हैरान रह जाता है। दुनियाभर के लोगों के बीच ये चर्च आकर्षण का केंद्र हैं। इन्हें देखने के लिए हर जगह से लोग बड़ी संख्या में आते हैं। इन चर्चों को लालिबेला के चर्च के नाम से जाना जाता है, जो इथियोपिया के लालिबेला शहर में हैं। यहां कुल 11 ऐसे चर्च हैं, जिन्हें चट्टानों को काटकर बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है। कहते हैं कि लाल और नारंगी रंग की ये चट्टानें ज्वालामुखी फटने के बाद उसके लावा से बनी हैं। माना जाता है कि इन चर्चों का निर्माण 12वीं और 13वीं सदी के बीच कराया गया है और इन्हें बनवाया है लालिबेला नाम के राजा ने, जो जाग्वे राजवंश से संबंध रखते थे। उन्हीं के नाम पर शहर का भी नाम लालिबेला पड़ा और चर्चों को भी लालिबेला के चर्च के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि राजा लालिबेला चर्चों को

आज हम आपको कुछ ऐसे रहस्यमय चर्चों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो करीब 800 साल



बनवा कर इस जगह को अफ्रीका का यरुशलम बनाना चाहते थे। आपको बता दें कि यरुशलम ईसाई धर्म का एक पवित्र तीर्थस्थल है। इस शहर को ईसा मसीह की कर्मभूमि कहा जाता है। यहां 150 से ज्यादा चर्च हैं। एक अनुमान के मुताबिक, चट्टानों को काटकर इन चर्चों को बनवाने में करीब 20 साल लगे थे। इन्हें हथौड़े और छेनी जैसे मामूली औजारों से बनाया गया है। यहां की सबसे खास बात ये है कि एक चर्च को दूसरे चर्च से जोड़ने के लिए चट्टानों को काटकर सुरंग भी बनाई गई है। यहां मौजूद 11 चर्चों में बेत अबा लिबानोस अपनी वास्तुकला के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। इसे एक विशाल चट्टान को किनारे से काटकर बनाया गया है। इस चर्च की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी तीन ओर से दीवारें नहीं हैं। यह एक खड़ी चट्टान की तरह लगता है। इन चर्चों के निर्माण को लेकर कहा जाता है कि इन्हें स्वर्ग से आए देवदूतों ने बनाया है। लालिबेला के लोगों के बीच यह कहानी प्रचलित है कि दिन में यहां मजदूर काम करते थे और जब वो रात के समय सोने चले जाते थे, तब स्वर्ग से उतर कर देवदूत चट्टानों को चर्च का आकार देते थे। साल 1978 में इन चर्चों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था।



हैरतअंगेज हैं लालिबेला के ये चर्च

दुनिया में कई अद्भुत स्थान और इमारते हैं, उनमें से एक इथियोपिया के लालिबेला शहर में चट्टानों को काटकर बनाए गए चर्च हैं। इथियोपिया में चट्टानों को काटकर बनाए गए इस तरह के 11 चर्च हैं। ये चर्च अपने डिजाइन और सौंदर्य के कारण पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं।

12वीं सदी में लालिबेला नाम के ही राजा ने इन चर्चों का निर्माण कराया था। बाद में लालिबेला के नाम पर इस शहर का नाम भी लालिबेला पड़ गया। ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए पहले यरुशलम तीर्थस्थल हुआ करता था। 12वीं सदी में उस पर मुस्लिमों का कब्जा हो गया। मुस्लिमों का कब्जा होने के बाद ईसाई धर्म के लोगों के लिए तीर्थस्थल की कोई जगह नहीं रह गई। ऐसे में लालिबेला ने उन चर्चों को बनाया था। कहा जाता है कि लालिबेला की योजना उसे अफ्रीका का यरुशलम बनाने की थी।

चर्चों का निर्माण



चट्टानों को काटकर इन चर्चों को बनाया गया। इनको बनाने में करीब 20 साल लगे। लाल-नारंगी रंग की ये चट्टानें असल में ज्वालामुखी फटने के बाद उसके लावा से बनी हैं। सबसे हैरत की बात यह है कि इन 11 चर्चों को उस समय के मामूली औजारों से बनाया गया है। साथ ही एक चर्च को दूसरे चर्च से जोड़ने के लिए पहाड़ों को काटकर सुरंग बनाया गया है। ये चर्च वास्तुकला और सौंदर्य का नमूना हैं। चर्च के अंदर काफी आकर्षक डिजाइन बनाए गए हैं।

देवदूतों ने बनाया

इन चर्चों के बारे में कहा जाता है कि इनको खुद स्वर्ग से उतरकर देवदूतों ने बनाया है। उनके मुताबिक, मजदूर दिन के समय में काम करते थे और रात में जब वे सोने चले जाते थे तो स्वर्ग से उतरकर देवदूत उन चट्टानों को चर्च के आकार में खूबसूरत तरीके से तराशने का काम करते थे।

बेत अबा लिबानोस

उन चर्चों में बेत अबा लिबानोस अपने डिजाइन की वजह से खास है। इसे एक विशाल चट्टान के किनारे को काटकर बनाया गया है। यह अपने आप में वास्तुकला का नमूना है क्योंकि चर्च एक खड़ी चट्टान की तरह है जिसके ऊपर छत है और नीचे फर्श। बाकी तीन ओर से दीवारें नहीं हैं। यह इंसानी इंजिनियरिंग का नमूना है और देखकर समझा जा सकता है कि इसको बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी।



एलपीजी के दाम और पेट्रोल-डीजल पर

एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के बाद उछलने लगे शेयर

नई दिल्ली, एजेंसी। सरकार ने घरेलू एलपीजी (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) सिलेंडर की कीमत मंगलवार से 50 प्रति सिलेंडर बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अलावा, पेट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी 2 प्रति लीटर बढ़ाई जाएगी। इन दो फैसलों की वजह से भारत की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयरों में आज उछल नजर आ रहा है। मंगलवार को एचपीसीएल, बीपीसीएल और इंडियन ऑयल के शेयरों में 3 पैसे तक तेजी आई।

एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी क्यों हुई पेट्रोल और डीजल पर ड्यूटी बढ़ने से सरकार को एक साल में 32,000 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। यह धनराशि केंद्र सरकार को जाएगी और इसका उपयोग वित्त वर्ष 2025 के लिए एलपीजी सब्सिडी देयता को पूरा करने के लिए किया जाएगा,

जिसका अनुमान 41,338 करोड़ है। क्यों बढ़े एलपीजी के दाम

एलपीजी कीमत में वृद्धि से ओएमसी को होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। वर्तमान में, ये कंपनियां प्रति सिलेंडर 250 तक का नुकसान उठा रही हैं, और कीमत बढ़ने से यह बोझ घटकर लगभग 200 प्रति सिलेंडर रह जाएगा।

आप पर क्या पड़ेगा प्रभाव

इन बदलावों के बावजूद, पंप पर रिटेल इंधन की कीमतों में वृद्धि नहीं होने की उम्मीद है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी बढ़ने का असर ओएमसी खुद वहन करेगी। हालांकि, इससे उनके मार्केटिंग मार्जिन में कमी आएगी, लेकिन फिर भी यह मार्जिन ऐतिहासिक मानकों की तुलना में अपेक्षाकृत उच्च स्तर पर बना रहेगा। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए के अनुसार, पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में वृद्धि, जो लगभग 4 प्रति बैरल के बराबर है, पिछले



तीन ट्रेडिंग सत्रों में कच्चे तेल की कीमतों में 1.2 प्रति बैरल की गिरावट का केवल एक तिहाई है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि इससे सरकार के टैक्स कलेक्शन में लगभग 4 बिलियन की वृद्धि होगी।

आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल को राहत

सीएलएसए ने कहा कि एक्साइज ड्यूटी में यह वृद्धि होने के बाद भी डीजल और पेट्रोल पर मार्केटिंग मार्जिन हाल के किसी भी तिमाही औसत से अधिक रहेगा और यही कारण है कि रिटेल इंधन की कीमतों में वृद्धि नहीं की गई है। ब्रोकरेज ने यह भी कहा कि घरेलू एलपीजी कीमतों में वृद्धि से आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल को राहत मिलेगी। अगर अगले कुछ हफ्तों में कच्चे तेल की कीमतें निचले स्तर पर बनी रहती हैं, तो डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कटौती की संभावना बढ़ जाती है। एक अन्य ब्रोकरेज एचएसबीसी ने बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसीएल पर अपनी खरीद रेटिंग बनाए रखी है,

लेकिन जोखिम धारणा बढ़ने के कारण इसने अपने वैल्यूएशन मल्टीपलस को कम कर दिया है। ब्रोकरेज ने अपने टारगेट प्राइसों को इस प्रकार संशोधित किया है। आईओसीएल का टारगेट प्राइस 170 से घटाकर 150 कर दिया गया है, जबकि बीपीसीएल का लक्ष्य 440 से घटाकर 400 कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि एचपीसीएल का टारगेट प्राइस पहले के 450 से बढ़ाकर 480 कर दिया गया है। एचएसबीसी ने अपने नोट में लिखा कि भारत सरकार ने वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने के महज दो दिनों के भीतर पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का त्वरित कदम उठाया – एक ऐसा कदम जिस पर ओएमसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। हालांकि, तेल की कीमतों, एक्साइज ड्यूटी और रिटेल पंप कीमतों का वर्तमान संयोजन ऐतिहासिक मानकों से ऊपर मार्जिन को समर्थन देता है, लेकिन एचएसबीसी ने चेतावनी दी कि इस तरह के हस्तक्षेप से सेक्टर के लिए समग्र जोखिम धारणा बढ़ जाती है।

दिल्ली एलजी वीके सक्सेना के मानहानि मामले में मेधा पाटकर को अदालत से डबल राहत

दिल्ली में कार के अंदर अचानक लगी आग, जिंदा जल गया बिजनेसमैन

नई दिल्ली, एजेंसी।

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की मानहानि मामले में साकेत कोर्ट ने आज सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर को डबल राहत दी है। कोर्ट ने मेधा पाटकर पर लगाए गए जुर्माने की राशि 10 लाख रुपये से घटाकर 1 लाख रुपये कर दी। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि मेधा पाटकर की उम्र को देखते हुए उन्हें एक साल के लिए प्रोबेशन पर रखा जाएगा। इससे पहले सेशन कोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा था।

साकेत कोर्ट के एडिशनल सेशन जज विशाल सिंह की अदालत ने 70 वर्षीय मेधा पाटकर को एक साल के अच्छे आचरण की शर्त के साथ प्रोबेशन पर रिहा करने का आदेश दिया। इसके लिए उन्हें अच्छे आचरण का बॉन्ड भरकर देना होगा। कोर्ट ने उनकी उम्र, पहले कोई दोष सिद्ध न होने और उनके द्वारा किए गए अपराध को देखते हुए उन्हें यह राहत दी है। साथ ही कोर्ट ने उन पर लगाए गए 10 लाख रुपये के जुर्माने को भी घटाकर 1 लाख रुपये कर दिया है,



जिसे उन्हें जमा करना होगा। साल 2000 में दर्ज कराए गए इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए पांच महीने कैद की सजा सुनाई थी। मेधा पाटकर ने सजा और दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। मेधा पाटकर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश हुईं।

बता दें कि, प्रोबेशन अपराधियों

के साथ गैर-संस्थगत व्यवहार का एक तरीका है। यह सजा का एक सशर्त निलंबन है, जिसमें दोषी ठहराए जाने के बाद अपराधी को जेल भेजने के बजाय अच्छे आचरण के बॉन्ड पर रिहा कर दिया जाता है। पिछले सप्ताह कोर्ट ने मानहानि के अपराध के लिए उन्हें दोषी ठहराने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था। वीके सक्सेना ने 24 नवंबर, 2000

को पाटकर के खिलाफ मानहानिकारक प्रेस रिलीज जारी करने के लिए नेशनल कार्डसिल ऑफ सिविल लिबर्टीज के अध्यक्ष के रूप में मामला दायर किया था।

पिछले साल 24 मई को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा था कि पाटकर के बयानों में सक्सेना को कायर कहा गया था और उन पर हवाला लेने-देने में शामिल होने का आरोप लगाए गए थे, जो न सिर्फ अपमानजनक था, बल्कि उनके बारे में नकारात्मक धारणाओं को भड़काने के लिए भी गढ़े गए थे। साथ ही, यह भी आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता गुजरात के लोगों और उनके संसाधनों को विदेशी हितों के लिए 'गिरवी' रख रहे हैं, जो उनकी ईमानदारी और सार्वजनिक सेवा पर सीधा हमला है।

सजा पर बहस 30 मई को पूरी हो गई थी, जिसके बाद सजा पर फैसला 7 जून को सुरक्षित रखा गया था। 1 जुलाई को अदालत ने उन्हें पांच महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी, जिसे उन्होंने सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी।

नई दिल्ली, एजेंसी।

दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में बिजवासान रोड फ्लाइओवर पर एक जली हुई कार मिली है। दिल्ली फायर सर्विस ने बताया कि सोमवार रात एक कार में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जली हुई कार की जांच करने पर उसके अंदर से एक जला हुआ शव बरामद हुआ। पुलिस की छानबीन में पता चला है कि शव ड्राइवर का है जो हादसे के दौरान बाहर नहीं निकल पाया।

घटना को लेकर पुलिस ने बताया, सोमवार रात को करीब 10:25 बजे, पुलिस थाना कापसहेड़ा को एक पीसीआर कॉल मिली कि गाड़ी में आग लगी है और गाड़ी में परिवार बिजवासान फ्लाइओवर के पास फंसा हुआ है। कॉल मिलने पर, आईओ स्थानीय पुलिस कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे और पाया कि एक कार टोयोटा ग्लैंजा रजिस्टर्ड नंबर डीएल 8 सीबीए 7610 में आग लग गई है। मौके पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और आग पर काबू पाया गया। निरीक्षण करने पर पता चला कि कार की ड्राइवर सीट पर एक अधजला शव पड़ा था। लोकल राहगीरों से पूछताछ करने पर पता चला कि कार बिजवासान फ्लाइओवर से द्वारका-एक्सप्रेसवे की ओर जा रही थी। चलती कार में अचानक आग लग गई और ड्राइवर बाहर नहीं निकल सका। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स से, परिवार के सदस्यों को मौके पर बुलाया गया और बाद में मृतक की पहचान संदीप पुत्र मामन सिंह उम्र 42 वर्ष निवासी एच नंबर 55 गली नंबर 3, निहाल कॉलोनी, पालम विहार, गुडगांव के रूप में हुई, जो आरके पुरम में टैक्सी ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करता था। वह अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया और शव को मोर्चरी में ट्रांसफर कर दिया गया। मामले में आगे की जांच चल रही है।

दिल्ली में फीस बढ़ोतरी पर पैरेंट्स नाराज, डीपीएस द्वारका के खिलाफ प्रदर्शन

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के स्कूलों में बढ़ी हुई फीस का मामला गरमाता जा रहा है। मंगलवार को, कई पैरेंट्स ने फीस वृद्धि को लेकर द्वारका स्थित डीपीएस के सामने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने फीस बढ़ाने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि हम निजी स्कूलों का ऑडिट कराएंगे। जहां भी मानदंडों का उल्लंघन मिलेगा उसपर ऐक्शन लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा, हमें दिल्ली के स्कूलों की फीस बढ़ाने के लिए दोषी ठहराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के मॉडर्न स्कूल मामले में एक आदेश पारित किया था कि दिल्ली के स्कूलों को अपनी फीस बढ़ाने से पहले शिक्षा निदेशालय से अनुमति लेनी होगी। लेकिन उन्होंने (आप) 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट से इस आदेश को खारिज करवा लिया। रेखा गुप्ता ऐसे मामलों में भ्रष्टाचार की जांच करेंगी जहां अंडर-द-टेबल पैसे लिए गए। सीएम

रेखा गुप्ता के नेतृत्व में एक समिति बनाई जाएगी और सभी स्कूलों का ऑडिट किया जाएगा और अगर कोई स्कूल किसी भी मानदंड पर खरा नहीं उतरता है, तो उसे बर्खा नहीं जाएगा। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर पत्र लिखा और तत्काल प्रभाव से आदेश जारी करने का आग्रह किया ताकि कोई भी स्कूल किसी भी पैरेंट्स/गार्जियन से बढ़ी हुई फीस तब तक न वसूले, जब तक स्कूलों के खातों का ऑडिट न हो जाए। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि फीस बढ़ाने की मांग करने वाले स्कूलों के सभी खातों का समयबद्ध तरीके से कैग के पैल में शामिल ऑडिटर्स द्वारा ऑडिट किया जाए। 1-2 प्रतिशत की भी फीस वृद्धि की कोई भी मंजूरी केवल उन्हीं स्कूलों को दी जानी चाहिए, जिनके वैध खर्च बिना ऐसी वृद्धि के पूरे नहीं हो सकते।

दिल्ली में शादी का प्रपोजल टुकराने पर भड़का था सनकी आशिक

नई दिल्ली, एजेंसी। दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के किरबी प्लेस बस स्टॉप इलाके में एक व्यक्ति ने 17 साल की लड़की पर सरेआम चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि लड़की पर रविवार देर शाम को हमला किया गया, क्योंकि उसने दिन में उसके शादी के प्रस्ताव को टुकरा दिया था। उन्होंने बताया कि इस बात से गुस्साए 20 साल के व्यक्ति ने रसोई के चाकू से सुनियोजित तरीके से उस पर कई बार चाकू से वार किया। जब गंभीर रूप से घायल लड़की ने मदद के लिए शोर मचाया तो आरोपी ने उसी चाकू से खुद को भी घायल कर लिया। पीड़िता की मां ने बताया कि मंगलवार को उनकी बेटी 18 साल की हो जाएगी। पुलिस ने बताया कि रविवार रात करीब 9.30 बजे एक राहगीर ने पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसने लड़की को अस्पताल भेजने की भी कोशिश की। डिप्टी पुलिस कमिश्नर (दक्षिण-पश्चिम) सुरेंद्र चौधरी ने एक बयान में कहा, लड़की के गर्दन और पेट के बाएं हिस्से में गंभीर चोटें आई हैं। घटनास्थल से एक चाकू बरामद किया गया



है। दोनों को डीडीयू अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत गंभीर है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी अमित के खिलाफ दिल्ली कैंट थाने में बीएनएस की धारा 109(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। डीसीपी ने आगे बताया कि पूछताछ में पता चला कि अमित और लड़की पिछले साल से दोस्त थे और किसी बात को लेकर उनके बीच अनबन हो गई थी। जांचकर्ताओं ने सीसीटीवी फुटेज हासिल करने और घटना के दौरान मौजूद लोगों के बयान दर्ज करने के

लिए घटनास्थल का दौरा किया और अपने मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड किया। एक सूत्र ने बताया कि आरोपी ने घटना की योजना बनाई थी। सूत्र ने बताया, हमें पता चला कि आरोपी उसका पीछा कर रहा था और उसने शादी का प्रस्ताव भी रखा था, जिसे पीड़िता ने टुकरा दिया था। आरोपी ने उसका हाथ पकड़ने की भी कोशिश की, जिसका उसने विरोध किया और उससे दूर चली गई। बाद में आरोपी ने घर से चाकू लाकर उसे मारने की योजना बनाई। इस बीच, कथित तौर पर घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 45 सेकंड की क्लिप में एक पुरुष और एक महिला खून से लथपथ फुटपाथ पर एक साथ लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि राहगीर मदद के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। इस बीच, पीड़िता की मां ने कहा कि मंगलवार को उनकी बेटी 18 साल की हो जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी वेंटिलेटर पर है, जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। सिंगल मदर ने कहा, हम बहुत खुश थे कि वह कल (मंगलवार को) 18 साल की हो जाएगी।